

“प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-05

[नियम 138ड देखें]

ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन	<स्वतः>
2	विधिक नाम	<स्वतः>
3	व्यापार का नाम	<स्वतः>
4	पता	<स्वतः>

5	प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग का 'क' में सूचना देने की सुविधा (अर्थात् ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख.....अनिरुद्ध की जाती है	<स्वतः>
6	ई-वेबिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के कारण	<उपयोक्ता इनपुट>
(i)		
(ii)		
(iii)		
7	व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशित तारीख	<उपयोक्ता इनपुट>

8. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

नाम/पदनाम/प्रास्थिति

तारीख:

स्थान: